संख्या-28/2026/826/18-2-2026/18-2099/42/2026

प्रेषक,

शशि भूषण लाल सुशील

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,

उ0 प्र0, कानपुर।

1- समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्त, 2026

विषय :- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-34/2018 /997/18-2-2018-19(ल0उ0) /2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गयी। उक्त योजना द्वारा प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, टोकरी बुनकर, सुनार, नाई, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं धोबी के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाये जाने हेतु उक्त शासनादेश संख्या-34/2018 /997 /18-2-2018-19(ल0उ0) /2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन एवं परिवर्द्धन करते हुए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार प्रख्यापित किए जाते है :-

1. योजना

यह योजना **" विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 "** के नाम से जानी जायेगी।

2. योजना से आच्छादित कारीगर / ट्रेड

" विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 " के अन्तर्गत वर्तमान में चयनित परम्परागत 11 कारीगरी ट्रेड के साथ नये ट्रेड के रूप में 05 परम्परागत कारीगरी ट्रेड तथा 09 आधुनिक विश्वकर्मा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ट्रेड (कुल 14 नये ट्रेड को मिलाकर) निम्नानुसार कुल 25 ट्रेड में कार्यरत कारीगरों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा:-

वर्तमान परम्परागत ट्रेड	**नये परम्परागत ट्रेड**	
1. बढ़ई	1. मूर्तिकार	
2. दर्जी	2. मालाकार	
3. कुम्हार	3. दूधवाला	
4. लोहार	4. भरभूजा	
5. नाई	5. मछुआरा	
6. राजमिस्त्री	**आधुनिक ट्रेड**	
7. सुनार	1.	मोबाइल मरम्मत
8. टोकरी बुनकर	2.	ऑटोमोबाइल मरम्मत
9. हलवाई	3.	इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत
10. मोची	4.	विद्युत सामान की मरम्मत
11. धोबी	5.	प्लम्बर
	6.	कम्प्यूटर मरम्मत
	7.	सोलर इंस्टालेशन
	8.	डिजिटल फोटोग्राफी
	9.	सौंदर्य एवं वेलनेस

3. योजना के घटक

3.क कौशल वृद्धि प्रशिक्षण

(1) योजनान्तर्गत कारीगरों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद / सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पूर्व की भांति 10 दिवसीय निःशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत निम्नलिखित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जायेगा :-

1.	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	अध्यक्ष
2.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0	सदस्य
4.	प्रशिक्षण संबंधी ट्रेड में कार्य करने वाले कारीगरों / उद्यमियों / कारपोरेट सेक्टर के जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 प्रतिनिधि	सदस्य

(2) योजनान्तर्गत कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु आई0टी0आई0, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त संबंधित ट्रेड में कार्यरत सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल / सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थाओं / कारपोरेट सेक्टर / सेवायोजन के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थानों के माध्यम से अथवा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत पूर्व के आवासीय प्रशिक्षण के स्थान पर अनावासीय प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रू0 500/- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षार्थियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 300/- सीमा तक वास्तविक व्यय प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति-दिन की दर से किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को पूर्व निर्धारित मानदेय धनराशि रू0 450/- प्रतिदिन के स्थान पर धनराशि रू0 500/- प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण अवधि 10 दिन हेतु कुल धनराशि रू0 5000.00 मानदेय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान किया जायेगा तथा पूर्व की भांति कारीगरों की कौशल वृद्धि प्रमाणन (RPL) हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी धनराशि रू0 900/- प्रशिक्षणदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.ख टूलकिट

प्रशिक्षणोपरान्त कारीगरों की कार्यक्षमता, दक्षता तथा उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि हेतु पूर्व की भॉति रू0 15000.00 की अधिकतम सीमा तक उन्नत नि:शुल्क टूलकिट उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रशिक्षण एवं टूलकिट हेतु पात्रता

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट हेतु पात्रता शासनादेश दिनांक 26.12.2018 की भॉति होगी। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे, जिनके पक्ष में ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत सचिव), नगर पंचायत / नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी अथवा नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी / सहायक नगर आयुक्त अथवा किसी सरकारी विभाग / सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आवेदक के पक्ष में संबंधित ट्रेड से जुड़े होने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

3.ग मार्जिन मनी ऋण

परम्परागत कारीगरों की आर्थिक स्थिति, वित्तीय सीमाओं तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के दृष्टिगत स्वरोजगार एवं रोजगार के माध्यम से विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को इकाईयों की स्थापना / विस्तारीकरण / तकनीकी उन्नयन / गुणवत्ता सुधार / पैकेजिंग आदि व्यवसायिक गतिविधियों हेतु कारीगरों को परियोजना लागत धनराशि रू0 10.00 लाख तक की ऋण सुविधा 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी तथा बिना गारण्टी एवं बिना ब्याज के उपलब्ध करायी जायेगी। सामान्य श्रेणी के पुरूषों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य सभी जाति के पुरूषों / महिलाओं / थर्ड जेंडर / दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा।

मार्जिन मनी ऋण हेतु पात्रता

योजनान्तर्गत मार्जिन मनी ऋण का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत होगी:-

(1) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत पूर्व प्रशिक्षित तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थी संबंधित ट्रेड में इकाईयों की स्थापना / विस्तारीकरण / तकनीकी उन्नयन / गुणवत्ता सुधार / पैकेजिंग आदि व्यवसायिक गतिविधियों हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना के पात्र होंगे।

(2) मार्जिन मनी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

(3) आवेदक द्वारा पूर्व में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मार्जिन मनी ऋण हेतु प्रक्रिया

योजनान्तर्गत मार्जिन मनी ऋण की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(1) लाभार्थियों द्वारा विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा आन-लाईन स्कोर कार्ड के आधार पर मूल्यांकन / निर्णय किया जायेगा।

(2) ऋण संबंधित लाभार्थियों के आवेदन पत्र पर तीन कार्य दिवस के अन्दर निर्णय लेते हुये आवेदन पूर्ण होने की दशा में संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिये जायेंगे तथा अपूर्णता की स्थिति में सुधार हेतु लाभार्थियों को वापस किया जायेगा।

(3) ऋण आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित बैंक शाखा द्वारा 15 दिनों के भीतर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय ले लिया जायेगा। अस्वीकृत किये गये आवेदनों में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस किया जायेगा तथा कार्यालय द्वारा अस्वीकृति के कारणों में सुधार की सम्भावना के दृष्टिगत लाभार्थियों की हैण्डहोल्डिंग करते हुए पुनः बैंक को प्रेषित करते हुये ऋण स्वीकृति / वितरण कराया जायेगा।

(4) बैंक द्वारा स्वीकृति के उपरान्त अधिकतम 15 दिनों के भीतर ऋण वितरण किया जायेगा।

(5) बैंक द्वारा ऋण वितरण के उपरान्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से मार्जिन मनी तथा ब्याज की मांग की जायेगी तथा निदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त मार्जिन मनी तथा ब्याज अवमुक्त किया जायेगा।

(6) अपनी परियोजना सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु लाभार्थी को ऋण वितरण की तिथि से 06 माह ऋण स्थगन अवधि प्रदान की जायेगी तथा इस अवधि के उपरान्त अधिकतम 54 मासिक किश्तों में लाभार्थी को ऋण की धनराशि बैंको को वापस करनी होगी।

(7) परियोजना की नियमित रूप से क्रियान्वयन की स्थिति में लाभार्थी को अधिकतम 05 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी दी जायेगी, जबकि परियोजना के बन्द होने की स्थिति में ब्याज सब्सिडी नहीं दी जायेगी तथा मार्जिन मनी सब्सिडी वापस ले ली जायेगी।

(8) लाभार्थी के पक्ष में मार्जिन मनी की धनराशि का समायोजन 05 वर्ष के उपरान्त जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र व बैंक के संयुक्त निरीक्षण में इकाई के कार्यरत होने की दशा में किया जायेगा। परियोजना के अकार्यरत होने की दशा में बैंक द्वारा मार्जिन मनी धनराशि विभाग को वापस की जायेगी।

(9) उक्त ऋण की गारंटी भारत सरकार की Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजना के अंतर्गत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी कवर द्वारा सुरक्षित (Secured) रहेगा। CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का ही वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(10) यदि किसी लाभार्थी द्वारा ऋण अदायगी में डिफाल्ट किया जाता है, तो संबंधित बैंक / वित्तीय संस्था अपनी निर्धारित ऋण वसूली प्रक्रिया एवं बैंकिंग नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा CGTMSE के प्रचलित दिशा-निर्देशों एवं दावा (Claim) प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण CGTMSE के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.घ अन्य प्राविधान

(1) कारीगरों को प्रमुख ऑन-लाईन मार्केटिंग प्लेटफार्म्स तथा जेम पोर्टल के माध्यम से मार्केटिंग की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण / सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(2) योजना के प्रगतिशील लाभार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड के विकसित क्लस्टर्स की एक्सपोजर विजिट के माध्यम से उन्हें नवीन तकनीकी, उत्पाद विकास, डिजाईन एवं मार्केटिंग के नये अवसरों से परिचित कराया जायेगा।

(3) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के कारीगरों को डिजिटल प्लेटफार्म/एप के माध्यम से आम जनमानस की सेवाओं से जोड़ने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(4) योजना के सुचारू संचालन के लिए निदेशालय स्तर पर एक PMU गठित किया जायेगा, जिसके कंसल्टेंट की मण्डल स्तर पर भी तैनाती की जायेगी।

(5) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय का भी प्राविधान होगा, जिसके अन्तर्गत जनपदों, मण्डलों एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, योजना के प्रचार-प्रसार, कार्यालयी कार्यों, मोबिलिटी एवं अन्य विविध मदों पर होने वाले व्ययों का वहन किया जायेगा, जो कि योजनान्तर्गत होने वाले वास्तविक व्यय का 02 प्रतिशत होगा।

(6) उपरोक्त प्राविधानों के अतिरिक्त योजनान्तर्गत पूर्व प्रचलित प्राविधानों / दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

(7) योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं विस्तृत दिशा-निर्देश आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के अनुमोदन / अनुमति के उपरान्त ही जारी किये जाएंगे।

(8) "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0" के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0030)/2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 एवं इससे संबंधित समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित / परिवर्द्धित समझे जायेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना के उपर्युक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

http

भवदीय,

शशि भूषण लाल सुशील
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम / द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / औद्योगिक विकास विभाग / व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग / समाज कल्याण / पिछडा वर्ग कल्याण विभाग / खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग / श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी / उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरी लाल सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gc

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।